

कार्यालय
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(जिला राजस्व शाखा)
(ISO 9001: 2015 Certified)

। आदेश ।।

ज्ञापांक /रा० दुमका दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड राँची।

विषय:-

नेशनल ग्रीन ट्रीव्यूनल पूर्वी बैंच कोलकाता में दायर ओ० ए०-14/2014 ई० जेड० रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के दायर वाद में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत वन भूमि में निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास, पुलिस लाईन, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन, एस.पी. महिला महाविद्यालय एवं छात्रावास निर्माण में प्रयुक्त भूमि कुल रकवा- 38.21 एकड़ भूमि के समतुल्य मसलिया अंचल के मौजा लताबनी थाना नं० 15 खाता नं० 22 दाग नं० 823 अंश रकवा- 25.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित एवं शिकारीपाड़ा अंचल के मौजा देदहा थाना नं०-10 खाता नं०-48 दाग नं०-01 अंश रकवा- 13.21 एकड़ किस्म- डूमरी संयुक्त रकवा- 38.21 एकड़ सरकारी भूमि क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

नेशनल ग्रीन ट्रीव्यूनल पूर्वी बैंच कोलकाता में दायर ओ० ए०-14/2014 ई० जेड० रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के दायर वाद में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत वन भूमि में निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास, पुलिस लाईन, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन, एस.पी. महिला महाविद्यालय एवं छात्रावास निर्माण में प्रयुक्त भूमि कुल रकवा-38.21 एकड़ भूमि के समतुल्य मसलिया अंचल के मौजा लताबनी थाना नं० 15 खाता नं० 22 दाग नं० 823 अंश रकवा- 25.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित एवं शिकारीपाड़ा अंचल के मौजा देदहा थाना नं०-10 खाता नं०-48 दाग नं०-01 अंश रकवा- 13.21 एकड़ किस्म- डूमरी संयुक्त रकवा- 38.21 एकड़ सरकारी भूमि क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1.. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन में इसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह जमीन स्वतः राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायगी।

2. इस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनी सोसाइटी, सहकारी संस्था, ट्रस्ट, अन्य विभाग या अन्य किसी को किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक उपयोग अथवा किसी भी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है।

3. जिस प्रयोजन के लिए भू-हस्तांतरण किया जा रहा है। उस भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए की जाय।

4. भू-हस्तांतरण के पश्चात् संबंधित विभाग को 6 (छः) माह के अन्दर कार्य प्रारंभ कराना होगा।

5. अन्य सभी शर्तें इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

२०१

उपायुक्त
दुमका।

ज्ञापांक 378 /रा० दुमका दिनांक 27/2/19

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि चिन्हित भूमि का दखल दिहानी प्राप्त करने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत करने की कृपा की जाय।

अंचल कार्यालय, शिकारीपाड़ा

पत्रांक 1069...../रा0

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
शिकारीपाड़ा।

सेवा में,

अपर समाहर्ता,
दुमका।

शिकारीपाड़ा, दिनांक 04.11.19

विषय :-

नेशनल ग्रीन ट्रीव्यूनल पूर्वी बैंच कोलकाता में दायर ओ0ए0- 14/2014 ई0 जेड0 रामलखन सिंह वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन, पुलिस उप महानिरीक्षक के आवास तथा महिला महाविद्यालय के छात्रावास के संयुक्त रकवा 38.21 एकड़ क्षतिपूरक वन रोपण हेतु अंतर्विभागीय निःशुल्क भू-हस्तान्तरण भूमि का दाखिल-खारीज करने के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक 1297/रा0 दिनांक 23.10.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर कहना है कि शिकारीपाड़ा अंचल अन्तर्गत मौजा- देवदहा, थाना सं0- 10, खाता सं0- 48, दाग सं0- 01 अंश रकवा 13.21 एकड़, किस्म- इंगरी भूमि जो उपायुक्त, दुमका के ज्ञापांक 378/रा0 दिनांक 27.02.2019 द्वारा क्षतिपूरक वन रोपण हेतु भूमि निःशुल्क हस्तान्तरण वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को की गई थी, जिसकी निम्नलिखित विवरणी अनुसार पंजी ॥ में दर्ज किया गया है :-

क्र0सं0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	दाग सं0	रकवा (एकड़ में)	पंजी ॥ रैयत का नाम	भाग/ पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवदहा	10	48	01	13.21	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार	1/49


उपरोक्त वर्णित विवरणी ऑनलाईन डेटा बेस में जमाबंदी भाग- 1 तथा पृष्ठ सं0- 49 पर दर्ज है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Bhandra
Divisional Forest Officer
Dumka Forest Division, Dumka

Melle
12.11.19
जिला कल्याण पदाधिकारी
दुमका

विश्वासभाजन
04/11/19
अंचल अधिकारी,
शिकारीपाड़ा।
04/11/19



झारखंड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

March 19, 2020

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान		पृष्ठ संख्या		49									
जिला का नाम	दुमका	अनुमंडल नाम	दुमका	अंचल का नाम	शिकारीपाड़ा	हलका का नाम	हलका-09	इस्टेट का नाम	JHARKHAND				
मौजा का नाम	देदाहल	होल्डिंग संख्या	48	तौजी संख्या	-	थाना नम्बर	05/0010	खाता का प्रकार	----				
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड, -----													
-----झारखण्ड सरकार, जाति--													
खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार										
48	1(P)	13 रे 21 डि 0 हे	उपायुक्त दुमका के क्षतिपूर्क वन रोपण हेतु अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण आदेश के जापॉक 378/रा० दिनांक 27-02-2019 के आलोक में										
	कुल परिमाण	13 रे 21 डि 0 हे											
तारीख	प्रति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
 यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें
 प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।